भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 120

07 दिसंबर, 2022

"स्टॉक लिमिट आर्डर को बढ़ाना"

120. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टॉक लिमिट ऑर्डर को 08/10/2022 से बढ़ाकर 31/12/2022 करने के पीछे क्या मुख्य कारण हैं;

(ख) स्टॉक लिमिट ऑर्डर को हटाने के बाद खाद्य तेल की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है;

(ग) क्या लाइसेंसिंग उपकरणों आदि को हटाने का यह एक बेहतर तरीका है; और

(घ) स्टॉक लिमिट ऑर्डर से थोक विक्रेताओं और बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं को हटाने के क्या लाभ हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक लिमिट ऑर्डर दिनांक 08.10.2021 को लागू किया गया था और अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू बाज़ार, दोनों में खाद्य तेलों की अत्यधिक कीमतों, अधिक अस्थिरता के कारण हो रही जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को देखते हुए इसकी अवधि को और बढ़ाया गया।

(ख): खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक लिमिट ऑर्डर अब भी दिनांक 31.12.2022 तक लागू है।

(ग) और (घ): थोक विक्रेताओं और बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं को, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरती कीमतों को देखते हुए खाद्य तेलों और तिलहन संबंधी स्टॉक लिमिट ऑर्डर से इसलिए हटाया गया ताकि अतिरिक्त मात्रा में स्टॉक रखने, खाद्य तेलों के अलग-अलग किस्मों एवं ब्रांड रखने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जा सके।

*****